सिटी बाइट्स

किशोर लापता, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज

सोहेल अंसारी.

हरसिद्धि. थाना क्षेत्र के पकड़िया पंचायत के वार्ड संख्या 8 निवासी 15 वर्षीय सोहेल अंसारी सोमवार की शाम से लापता है. परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर हरसिद्धि थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. परिजनों के अनुसार, सोहेल अंसारी 15 वर्ष, पिता आस मोहम्मद अंसारी, सोमवार शाम करीब 7 बजे घर से निकला था. उस समय उसने उजाला रंग की हाफ पैंट और ग्रीन रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी. देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने रिश्तेदारों एवं आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद किशोर के पिता और भाई ने थाना पहुंचकर गुमशुदगी की लिखित सूचना दी. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

एयरपोर्ट के पास सड़क हादसा, किशोर की मौत

रक्सौल. नेपाल के बारा जिले के जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-2 स्थित एयरपोर्ट के समीप सोमवार की देर शाम हुए भीषण सड़क हादसे में पर्सा जिले के एक 17 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान पर्सा जिले के वीरगंज महानगरपालिका-29 निवासी 17 वर्षीय लक्की सर्राफ के रूप में हुई है. वह स्कूटर चला रहे थे. पुलिस के अनुसार, डुमरवाना-सिमरा आंतरिक सड़क पर लक्की सर्राफ ना 28 प 5855 नंबर की स्कूटर से डुमरवाना से सिमरा की ओर जा रहे थे. मोटरसाइकिल चालक बारा जिले के जितपुरसिमरा-23 निवासी 29 वर्षीय रइफुल आलम अंसारी भी घायल हो गए. उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए वीरगंज स्थित वीरगंज हेल्थ केयर अस्पताल रेफर किया गया है. इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा ने दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर चालक, जितपुरसिमरा-4 औराहा निवासी 70 वर्षीय शिवराज चौधरी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है तथा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

गांजा बेचते दो दुकानदार गिरफ्तार

रक्सौल . नेपाल के बारा जिले के जीतपुर बाजार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग दुकानों पर छापेमारी कर गांजा बेचने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इलाका प्रहरी कार्यालय जीतपुर के वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक उमेश निरौला के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान लगभग 360 ग्राम वजन की 59 पुड़िया गांजा बरामद की. इसके बाद दुकान पर मौजूद 50 वर्षीय बच्ची साह को गिरफ्तार कर लिया गया. इसी अभियान के तहत जीतपुर के सिधरिया टोल स्थित एक अन्य दुकान में छापेमारी की गई, जहां से आठ पुड़िया गांजा बरामद हुई. इस मामले में 68 वर्षीय सेख महमद को भी गिरफ्तार किया गया है.

मादक पदार्थों के खिलाफ नियमित छापेमारी करें: डीएम

प्रतिनिधि,मोतिहारी

डीएम सौरभ सुमन यादव व एसपी स्वर्ण प्रभात की संयुक्त अध्यक्षता में मंगलवार को नार्को-कोऑर्डिनेशन की जिला स्तरीय बैठक समाहरणालय स्थित डॉ राधाकृष्णन सभागार में हुई. बैठक में डीएम ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार,भंडारण, परिवहन व उसके सेवन के विरुद्ध नियमित छापामारी करने का निर्देश दिया. कहा कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार, इसके भंडारण एवं परिवहन तथा मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण के लिए आपसी समन्वय स्थापित कर काम करने की जरूरत है.नियमित कार्रवाई करने व पकड़े गए लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जिले के सीमावर्ती अनुमंडल खासकर रक्सौल तथा ढाका के क्षेत्रों में पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल के पदाधिकारियो को संयुक्त छापामारी अभियान नियमित चलाने का निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिंहा, जिला परिवहन पदाधिकारी निवेदिता कुमारी,जिला भू अर्जन पदाधिकारी अरुण कुमार,समादेष्टा 71वीं बटालियन, 20वीं बटालियन एवं 47वीं बटालियन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी औषधि नियंत्रक,जिला कृषि पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, अधीक्षक मद्य निषेध,डीपीओ आईसीडीएस, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मोतिहारी उपस्थित थे.

एक माह में दो तस्कर गिरफ्तार: बैठक में कमांडेंट 47वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल रक्सौल ने बताया कि पुलिस के साथ सशस्त्र सीमा बल की ज्वाइंट ऑपरेशन में पिछले एक माह में गांजा, स्मैक चरस पकड़ा गया है.इस बीच दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है.तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है. जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि उर्वरक के अवैध व्यापार के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. बैठक में रक्सौल अनुमंडल पदाधिकारी, ढाका अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय ने इस माह की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी.

स्थानीय थाना को जरूर दें सूचना: एसपी

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि निरोधात्मक कार्य में लगे पदाधिकारी स्थानीय थाना को सूचना निश्चित रूप से दें और एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें . कहा कि मादक पदार्थों का चलन युवा वर्ग में तेजी से बढ़ रहा है जिसका उनके स्वास्थ्य,उनके परिवार और समाज पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है .

पेपर लीक से युवाओं का भविष्य हो रहा खराब

प्रेस वार्ता में शामिल कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी .

रक्सौल/मधुबन . मोतिहारी जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले मंगलवार को रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक रोड स्थित एक आवासीय होटल के सभागार में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रो. अखिलेश दयाल की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. प्रेस वार्ता में नीट परीक्षा पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन, शिक्षा के निजीकरण और बढ़ती फीस को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया. इस दौरान प्रो. दयाल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में अनियमितताओं ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. साथ ही, रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि 11 जुलाई को पटना में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले यह अभियान चलाया जाएगा.

मधुबन: प्रखंड कांग्रेस कमिटी के द्वारा मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय में धरना की अध्यक्षता नवमनोनित प्रखंड अध्यक्ष जीतेंद्र कुमार ने किया.इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि देश में नीट परीक्षा परीक्षा में धांधली हुई है.जिसकी जिम्मेवारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए.मौके पर पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अहमद अली,कामेश्वर पांडेय,नंदलाल सहनी, देवेन्द्र प्रसाद यादव, मोतिलाल यादव आदि मौजूद थे.

आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से टैक्स कलेक्शन कराने का निर्णय

शहर से बाहर जाएगा बस स्टैंड

बैठक

- नगर परिषद कार्यालय में सामान्य बोर्ड की बैठक का आयोजन

प्रतिनिधि,रक्सौल

बैठक को संबोधित करते कार्यपालक पदाधिकारी व मौजूद कार्यवाहक सभापति .

शहर के समग्र विकास, यातायात व्यवस्था में सुधार और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में नगर परिषद ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई है. मंगलवार को आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक में शहर से बस स्टैंड को लक्ष्मीपुर स्थित नव निर्मित बस पड़ाव से संचालित करने, सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन, जलापूर्ति व्यवस्था के विस्तार तथा टैक्स कलेक्शन को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराने जैसे अहम प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए. बैठक में पार्षदों ने भी अपने-अपने वार्डों की लंबित विकास योजनाओं को शीघ्र पूरा कराने की मांग उठाई. शहर के वार्ड संख्या 1 स्थित नगर परिषद के प्रशासनिक भवन में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता कार्यवाहक सभापति पुष्पा देवी ने की, जबकि संचालन कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. मनीष कुमार ने किया. बैठक की शुरुआत पिछली बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि से हुई. इसके बाद निर्धारित एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें सभी पार्षद शहर के विकास को लेकर सकारात्मक और सहमत नजर आए. बैठक में शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया. इस दौरान मुख्य सड़कों की नियमित और प्रभावी सफाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी. साथ ही सफाई व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निर्णय लिया गया. शहर में लगातार बढ़ती जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बोर्ड ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए लक्ष्मीपुर स्थित नव निर्मित बस पड़ाव से ही सभी बसों का संचालन कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया. कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. मनीष कुमार ने बताया कि 26 जनवरी को लक्ष्मीपुर बस स्टैंड का उद्घाटन किया जा चुका है. बैठक में गर्मी के मौसम को देखते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में उत्पन्न हो रहे जल संकट पर भी गंभीरता से चर्चा की गई. जिन क्षेत्रों में अब तक बोरिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है और जहां इसकी आवश्यकता महसूस की गई है, वहां नई बोरिंग कराने तथा पाइपलाइन का विस्तार कर छूटे हुए घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का निर्णय लिया गया. कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि आवश्यक स्थानों का आकलन किया जा चुका है और जरूरत के अनुसार कार्य कराते हुए प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना नगर परिषद की प्राथमिकता होगी. बैठक में नगर प्रबंधक अविनाश कुमार राव, सहायक स्वच्छता पदाधिकारी कन्हैया कुमार यादव, प्रभारी प्रधान सहायक चंदेश्वर बैठा, प्रभारी टैक्स दरोगा पंकज कुमार सिंह, कनीय अभियंता राज कुमार राय, रोहित कुमार, विवेक कुमार, सहायक बैजू जायसवाल, अजीत कुमार, सोनू मंडल सहित पार्षद जितेन्द्र कुमार दत्ता, मुकेश कुमार, दीपक कुमार, रंजीत कुमार श्रीवास्तव, सोनू कुमार गुप्ता, मो. अब्बास, रवि कुमार गुप्ता, वीरेन्द्र प्रसाद, कुन्दन कुमार सिंह, ओम कुमार साह, घनश्याम प्रसाद, अनुरागनी देवी, डिम्पल चौरसिया, अंतिमा देवी, सुगन्धि देवी, आशा देवी, सीमा गुप्ता, पन्ना देवी, कांति देवी समेत अन्य उपस्थित रहे.

बरनहिया नदी में मिला युवती का शव

सुगौली. थाना क्षेत्र के खोढा-सपहा रोड स्थित खोढा गांव के समीप बरनहिया नदी पुल के पास मंगलवार को एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में तैरता मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान खोढा गांव निवासी रामायण भगत की पुत्री सपना कुमारी के रूप में की गई है. युवती सोमवार सुबह से लापता थी. करीब 24 घंटे बाद उसका शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है, जबकि गांव में शोक और रहस्य का माहौल व्याप्त है. सुगौली थानाध्यक्ष अनीश कुमार सिंह ने बताया कि युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की छानबीन की जा रही है.

सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण

बंजरिया. स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखने के उद्देश्य से तरैया विधायक सह बिहार विधानसभा की याचिका समिति के सभापति जनक सिंह व सुगौली विधायक राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता ने मोतिहारी सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान दोनों विधायकों ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का जायजा लिया और वहां भर्ती मरीजों से मिलकर उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया.

अतिक्रमण हटाने पर युवक की आत्मदाह की कोशिश

तुरकौलिया. मुख्य चौक के समीप अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक अतिक्रमणकारी युवक ने अपने घर की छत पर चढ़कर पेट्रोल डाल लिया और आत्मदाह की धमकी देने लगा. काफी मशक्कत के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम छत पर पहुंची और युवक को शांत कर सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रही. सीओ संतोष कुमार ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकानों के लिए किसी प्रकार के मुआवजे का प्रावधान नहीं है. सदर एसडीओ निशांत सिहारा ने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति इस कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सेवानिवृत्ति पर दफादार को दी गयी विदाई: हरसिद्धि.

स्थानीय थाना में वर्षों से कार्यरत दफादार अवधेश पांडेय के सेवानिवृत्त होने पर मंगलवार को थाना परिसर में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया.

एससी-एसटी अत्याचार निवारण समिति की बैठक

रक्सौल. अनुमंडल कार्यालय स्थित अनुमंडल कार्यालय के सभागार में मंगलवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अनुश्रवण सह सतर्कता समिति तथा मैनुअल स्कैवेंजर नियोजन निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने की. बैठक में एसडीओ ने समिति के सदस्यों द्वारा उठाई गई विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

रोगी कल्याण समिति की हुई बैठक

रक्सौल. अनुमंडलीय अस्पताल, रक्सौल में मंगलवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में अस्पताल की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा नई चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कुल 18 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में अस्पताल में डायलिसिस सेवा शुरू करने की दिशा में आवश्यक व्यय को मंजूरी देने पर सहमति बनी. साथ ही, ब्लड स्टोरेज यूनिट के लिए फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद, प्रसव कक्ष के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने तथा स्टोर रूम में दवाओं के सुरक्षित भंडारण के लिए रेफ्रिजरेटर लगाने का निर्णय लिया गया.

आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा

हरसिद्धि. थाना पुलिस की त्वरित अनुसंधान एवं प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है. आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने घटना के करीब दो वर्षों के भीतर आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सजा पाने वाला आरोपी अमित कुमार, हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मुंशी बाजार निवासी सुरेश पासवान का पुत्र है. न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत सुदृढ़ अनुसंधान के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर पूरी की गई और न्यायालय में प्रभावी ढंग से पैरवी की गई.

प्रखंड कार्यालय के किरानी मो. उमर हुए सेवानिवृत्त

पताही. प्रखंड कार्यालय उर्दू अनुवादक के पद पर कार्यरत किरानी मो उमर आज मंगलवार को सेवा सेवानिवृत हो गए . मो उमर की पहली पोस्टिंग 31 वर्ष पूर्व 1995 में सिकरहना अनुमंडल में हुआ था . इनके द्वारा जिले के कई कार्यालयों में काम किया गया . मो उमर के सेवानिवृत्त होने पर प्रखंड कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन कर विदाई किया गया . बीडीओ उदय कुमार ने कहा कि मो उमर हमेशा बेहतर तरीके से कम करते थे . समय से कार्यालय आना एवं जाना उनकी रूटिंग था . मो उमर का याद कार्यालय को हमेसा महसूस होगा.

जैविक खेती अपनाने पर जोर

रक्सौल. प्रखंड रक्सौल के सभी पंचायतों एवं भारत-नेपाल सीमा से सटे गांवों में मंगलवार को कृषि विभाग आत्मा की ओर से कृषि जनकल्याण चौपाल सह खेत बचाओ अभियान-2026 का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने तथा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी. चौपाल में बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसानों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं कृषि अधिकारियों ने भाग लिया. किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों के चयन, बीज उपचार (सीड ट्रीटमेंट), नर्सरी प्रबंधन, बीज की उचित मात्रा, जल निकासी तथा संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !

SAM विभाग, मंडल कार्यालय - चम्पारण, उज्जवल कॉमप्लेक्स, चाँदमारी चौक, मोतिहारी-845401, ई-मेल : cochamprecovery@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई नीलामी बिक्री सूचना)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना. एतद द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार (ओं) को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को संरक्षित / सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक /भौतिक/सांकेतिक (जो भी लागू हो) जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है. संबंधित उधारकर्ता(ओं) और जमानतदा(रों) से बैंक /सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये तालिका में उल्लेखित तिथि पर ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और ''जिस अवस्था में है'' के आधार पर बेचा जाएगा. सुरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित है.

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची

ई नीलामी की तिथि : 17.07.2026 (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 17.07.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक)

क्रम सं0	शाखा का नाम / खाता का नाम और खाता संख्या / नाम एवं पता उधारकर्ता/ गारंटर के खाते का	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम [संपत्ति(यों) के बंधककर्ता]-	ए) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2)के तहत मांग सूचना की तिथि / बी) बकाया राशि 13(2) नोटिस तिथि को / सी) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कब्जा तिथि / डी) कब्जे की प्रकृति- प्रतिकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	ए)सुरक्षित मूल्य- / बी) ईएमडी / सी) बीड वृद्धि की राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	भार का विवरण- सुरक्षित लेनदार
1	पीएनबी-बेलवा(103420) / मेसर्स आयुष जिपर को0 (1034208700000265) / मेसर्स आयुष जिपर को0, प्रो0 सुनिल कमार पिता-धुपलाल महतो, तुमरिया टोला, नियर भाकुड़ बारा, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण-845305	आवासीय भूमि एवं मकान जिसका कुल क्षेत्रफल - 8 धुर या 1800 वर्गफीट है जिसका मौजा-पनटोका उर्फ तुमरिया टोला, थाना एवं अंचल-रक्सौल, पूर्वी चम्पारण, थाना नं0-06, वार्ड नं0-04, खाता नं0-101, खेसरा नं0-838 जिसका (1) सेल डीड नं0-803, दिनांक 15.02.2016, क्षेत्रफल - 04 धुर चौहद्दी : उत्तर - किरण देवी, दक्षिण - रास्ता,	ए) 18.10.2025 / बी) रू0 40,79,031.30/- 30.09.2025 को+ ब्याज एवं अन्य शुल्क पूर्ण भुगतान होने तक / सी) 03.01.2026 / डी) प्रतिकात्मक	ए) रू0 44,23,000/- / बी) रू0 4,42,300/- / सी) रू0 20,000/-	17.07.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	हमें ज्ञात नही है

पूरब-पूनम देवी, पश्चिम-रास्ता (2) सेल डीड नं0-3159 दिनांक 23.07.2019 क्षेत्रफल-04 धुर, चौहद्दी : उत्तर - दुलारी देवी पति-मुन्नीलाल महतो, दक्षिण-मुस्तरी, पूरब-पूनम देवी पति-आनंद मिश्रा, बंधककर्ता : सुनिल कुमार पिता-धुपलाल महतो उर्फ धुपलाल प्रसाद.

नियम व शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा.
1. संपत्तियां ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और ''जिस अवस्था में है'' के आधार पर बेची जा रही हैं.
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा.
3. बिक्री वेबसाइट https://BAANKNET.COM पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **17.07.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक** अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी और सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जायेगी.
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया Website https://baanknet.com & www.pnbindia.in पर जाएं.

स्थान-मोतिहारी
दिनांक : 30.06.2026

श्री रंजीत कुमार
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !

मंडल कार्यालय - चम्पारण, SAM विभाग, उज्जवल कॉमप्लेक्स, चाँदमारी चौक, मोतिहारी-845401, ई-मेल : cochamprecovery@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई नीलामी बिक्री सूचना)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना. एतद द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार (ओं) को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को संरक्षित / सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक /भौतिक/सांकेतिक (जो भी लागू हो) जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है. संबंधित उधारकर्ता(ओं) और जमानतदा(रों) से बैंक /सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये तालिका में उल्लेखित तिथि पर ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और ''जिस अवस्था में है'' के आधार पर बेचा जाएगा. सुरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित है.

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची

ई नीलामी की तिथि : 17.07.2026 (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 17.07.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक)

क्रम सं0	शाखा का नाम / खाता का नाम और खाता संख्या / नाम एवं पता उधारकर्ता/ गारंटर के खाते का	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम [संपत्ति(यों) के बंधककर्ता]-	ए) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(2)के तहत मांग सूचना की तिथि / बी) बकाया राशि 13(2) नोटिस तिथि को / सी) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13(4) के तहत कब्जा तिथि / डी) कब्जे की प्रकृति- प्रतिकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	ए)सुरक्षित मूल्य- / बी) ईएमडी / सी) बीड वृद्धि की राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	भार का विवरण- सुरक्षित लेनदार
1	पीएनबी-बेलवा(103420) / मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स (1034250025106) / मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स, (प्रो0-सिद्धार्थ शंकर) कोइरिया टोला, मेन रोड, पो0 एवं थाना-रक्सौल, पूर्वी चम्पारण-845301. सिद्धार्थ शंकर सिंह, पिता-विजय शंकर सिंह ग्राम-बैरिया, रामगढ़वा, पो0-रक्सौल, पूर्वी चम्पारण-845433 पुष्पा देवी, पति-सिद्धार्थ शंकर सिंह ग्राम-बैरिया, रामगढ़वा, पो0-रक्सौल, पूर्वी चम्पारण-845433.	भूमि जिसका मौजा-रक्सौल गाँधीनगर, आश्रम रोड, थाना एवं अंचल-रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण, वार्ड नं0-09, थाना नं0-07, तौजी नं0-951 जिसका (1) सेल डीड नं0-1817 दिनांक 09.06.2011 जो कि नामित है पुष्पा देवी पति-सिद्धार्थ शंकर सिंह जिसका खाता नं0-112, खेसरा नं0-901, क्षेत्रफल-8.5 धुर एवं 4.25 डिसमील. चौहद्दी : उत्तर-अमिका यादव, दक्षिण-राम अयोध्या यादव, पूरब-हाल बैदार नं0 हाजा, पश्चिम-राजेश प्रसाद एवं (2) सेल डीड नं0-3384 दिनांक 14.11.2011 जो कि नामित है सिद्धार्थ शंकर सिंह पिता-विजय शंकर सिंह जिसका खाता नं0-112, खेसरा नं0-899, क्षेत्रफल - 06 धुर एवं 3 डिसमिल. चौहद्दी : उत्तर-कमल यादव, दक्षिण-सोनालाल प्रसाद, पूरब-रामेश्वर लाल मस्कारा एवं केनाल, पश्चिम-रोड.	ए) 17.05.2017 / बी) रू0 16,40,689/- + ब्याज एवं अन्य शुल्क पूर्ण भुगतान होने तक / सी) 29.12.2020 / डी) प्रतिकात्मक	ए) रू0 24,18,000/- / बी) रू0 2,41,800/- / सी) रू0 20,000/-	17.07.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	DRT पटना में OA/313/2019

नियम व शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा.
1. संपत्तियां ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और ''जिस अवस्था में है'' के आधार पर बेची जा रही हैं.
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा.
3. बिक्री वेबसाइट https://BAANKNET.COM पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **17.07.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक** अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी और सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जायेगी.
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया Website https://baanknet.com & www.pnbindia.in पर जाएं.

स्थान-मोतिहारी
दिनांक : 25.06.2026

श्री रंजीत कुमार
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002

कोर्ट नोटिस

ब,
अदालत सब जज साहब-III
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
स्वत्व वाद संख्या-183/25
प्रमोद कुमार सिंह ..... मुदई
बनाम
निकेत कुमार ..... मुदालह
नोटिस बनाम

निकेत कुमार वल्द स्व0 चन्द्र शेखर सिंह ग्राम-बरियरिया टोला इन्द्रगाछी, पोस्ट-भादा मूरली, थाना-संग्रामपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण ..... मुदालह। आपके विरूद्ध मेरे न्यायालय में वाद संख्या-183/25 दाखिल किया है जिसमें मेरे न्यायालय से आपके विरूद्ध डाक रजिस्ट्री के साथ नजारत के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। नोटिस प्राप्ति के बाद आप मेरे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस गजट प्रकाशन के माध्यम से आपको आगाह किया जाता है कि दि